कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 313 / खनन अनुभाग / विज्ञप्ति–बलुई मिट्टी / 2026 दिनांक 08 जुलाई, 2026

ई–टेण्डर / ई–निविदा आमंत्रण सूचना

(जनपद अम्बेडकरनगर में मुख्य नहर टाण्डा, समानान्तर नहर एवं जहाँगीरगंज राजवाहा में बर्म कटिंग एवं बेड में जमा बलुई मिट्टी के निस्तारण / उठान हेतु ई–निविदा आमंत्रण सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड टाण्डा, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या–852 / सि0ख0टा0 / नीलामी, दिनांक 29.06.2026 के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में मुख्य नहर टाण्डा, समानान्तर नहर एवं जहाँगीरगंज राजवाहा में बर्म कटिंग एवं बेड में जमा बलुई मिट्टी के निकासी के उपरान्त एकत्रित उपखनिज बलुई मिट्टी मात्रा 154171.77 घनमीटर का शासनादेश संख्या / फाइल नं0 86–01099 / 51 / 2023–लखनऊ दिनांक 19.03.2024 में दिये गये निर्देशानुसार निस्तारण / उठान हेतु दिनांक 15.07.2026 से दिनांक 20.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक ई–निविदा www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निम्न तालिका में वर्णित उपखनिज (बलुई मिट्टी) की मात्रा सम्भावित रूप से उपलब्ध होगी–

क्र0 सं0	लॉट संख्या	नहर का नाम चैनेज सहित	तहसील का नाम	नीलामी हेतु बलुई मिट्टी की मात्रा (घन मी0 में)	समिति द्वारा निर्धारित रायल्टी दर (रूपये प्रति घन मी0 में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (धनराशि रूपयों में)	आरक्षित मूल्य का 75 प्रतिशत डिमाण्ड ड्राफ्ट (जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के नाम निर्गत)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1	टाण्डा मुख्य नहर किमी0 19.200 से 18.062 तक	अकबरपुर	25201.18	26.40	665311	498984
02	2	टाण्डा मुख्य नहर किमी0 18.062 से 19.200 तक	अकबरपुर	9835.70	26.40	259663	194748
03	3	टाण्डा मुख्य नहर किमी0 19.200 से 21.834 तक	टाण्डा	18547.06	26.40	489642	367232
04	4	टाण्डा मुख्य नहर किमी0 21.834 से 23.536 तक	टाण्डा	13035.29	26.40	344132	258099
05	5	टाण्डा मुख्य नहर किमी0 23.536 से 28.500 तक	टाण्डा	23404.20	26.40	617871	463404
06	6	टाण्डा समानान्तर नहर किमी0 16.100 से 19.200 तक	अकबरपुर	15680.61	26.40	413968	310476
07	7	टाण्डा समानान्तर नहर किमी0 19.200 से 23.500 तक	टाण्डा	12582.73	26.40	332184	249138
08	8	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 1.000	अकबरपुर / टाण्डा	2650.00	26.40	69960	52470
09	9	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 1.000 से किमी0 2.000	टाण्डा	2500.00	26.40	66000	49500
10	10	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 2.000 से किमी0 3.000	टाण्डा	2200.00	26.40	58080	43560
11	11	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 3.000 से किमी0 4.000	टाण्डा	2000.00	26.40	52800	39600
12	12	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 4.000 से किमी0 5.000	टाण्डा	1920.00	26.40	50688	38016
13	13	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 5.000 से किमी0 6.000	टाण्डा	1690.00	26.40	44616	33462

Kamlesh Pom

14	14	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 6.000 से किमी0 7.000	टाण्डा	1980.00	26.40	52272	39204
15	15	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 7.000 से किमी0 8.000	टाण्डा	1680.00	26.40	44352	33264
16	16	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 8.000 से किमी0 9.000	टाण्डा	1300.00	26.40	34320	25740
17	17	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 9.000 से किमी0 10.000	टाण्डा	1430.00	26.40	37752	28314
18	18	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 10.000 से किमी0 11.000	टाण्डा	1540.00	26.40	40656	30492
19	19	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 11.000 से किमी0 12.000	टाण्डा	1500.00	26.40	39600	29700
20	20	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 12.000 से किमी0 13.000	टाण्डा	1450.00	26.40	38280	28710
21	21	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 13.000 से किमी0 14.000	टाण्डा	1505.00	26.40	39732	29799
22	22	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 14.000 से किमी0 15.000	टाण्डा	1300.00	26.40	34320	25740
23	23	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 15.000 से किमी0 16.000	टाण्डा	1460.00	26.40	38544	28908
24	24	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 16.000 से किमी0 17.000	टाण्डा	1540.00	26.40	40656	30492
25	25	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 17.000 से किमी0 18.000	टाण्डा	1310.00	26.40	34584	25938
26	26	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 18.000 से किमी0 19.000	टाण्डा	950.00	26.40	25080	18810
27	27	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 19.000 से किमी0 20.000	टाण्डा	1250.00	26.40	33000	24750
28	28	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 20.000 से किमी0 21.000	टाण्डा	1150.00	26.40	30360	22770
29	29	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 21.000 से किमी0 22.000	टाण्डा	850.00	26.40	22440	16830
30	30	जहाँगीरगंज राजवाहा के किमी0 22.000 से किमी0 23.000	टाण्डा	730.00	26.40	19272	14454

<u>शर्तें निम्न प्रकार है:–</u>

1. तालिका में उल्लिखित मात्रा का निस्तारण ई–टेण्डर/ई–नीलामी के माध्यम से चयनित ई–निविदाकारों द्वारा किया जायेगा। ई–टेण्डर की कार्यवाही ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से की जायेगी।
2. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी :–

   क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र/उपखनिज भण्डारण स्थल विज्ञापित किया गया हो।
   ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र/लॉट संख्या/उपखनिज भण्डारण स्थल का क्रमांक।
   ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई व वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर।
   घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो–

      उपखनिज का नाम :–

      तहसील का नाम :–

      भण्डारण स्थल का पूरा विवरण :–

      विज्ञप्ति में दी गई भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) :–

ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आई.डी./पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)।

च. पैनकार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

छ. उपखनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली रायल्टी दर, जो समिति द्वारा निर्धारित की गई है, से कम नहीं होगी।

ज. भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर) को निर्धारित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

झ. जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार खनन देय बकाया न होने के सम्बंध में शपथ पत्र।

ञ. उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता हो, ऑनलाईन संलग्न एवं समिति के समक्ष मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।

ट. उस जिले के जिलाधिकारी से जारी कुल आंकलित रायल्टी धनराशि के समकक्ष/अधिक का हैसियत प्रमाण पत्र, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता हो, ऑनलाईन संलग्न एवं समिति के समक्ष मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा।

3. ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 15.07.2026 से दिनांक 20.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

4. विज्ञप्ति के अनुसार पांच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 21.07.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर के सभागार कक्ष में खोला जायेगा।

5. बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूलप्रति निविदा खोले जाने से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर (खनन अनुभाग) में दिनांक 21.07.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे के पूर्व जमा करना होगा, उसके बाद वांछित अभिलेख जमा नहीं किये जायेंगे तथा अभिलेख जमा न होने की स्थिति में निविदाकर्ता की ई–निविदा नहीं खोली जायेगी।

6. यह संज्ञान में आने पर किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदाकर्ता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

7. भण्डारण स्थल से निकासी किये जाने वाले उपखनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित उपखनिज बलुई मिट्टी हटाने/उठान सम्बंधी सहमति पत्र (लेटर ऑफ इण्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापिस कर दिया जायेगा।

8. जिलाधिकारी द्वारा कोई कारण बतायें बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

9. भण्डारण स्थल से उपखनिज का उठान उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

10. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बंधित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है अथवा किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

11. ई–निविदा प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

Kamlesh Pan

12. वास्तविक देय धनराशि अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि लेटर ऑफ इण्टेन्ट निर्गत के दिनांक से 03 कार्यदिवस के भीतर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

13. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपखनिज की मात्रा/स्थिति, निकासी मार्ग आदि का आकंलन स्वयं करके संतुष्ट होने पर प्रतिभाग करना होगा, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारण स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बंध में मौके पर निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा उपखनिज निकासी/उठान हेतु आदेश जारी किया जायेगा, तत्पश्चात् ही उपखनिज की निकासी/उठान प्रारम्भ किया जायेगा।

16. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति आदेश में दी गई अवधि में उठान किया जायेगा, दी गई अवधि में कोई विस्तार नहीं किया जायेगा।

17. भण्डारित स्थल से बलुई मिट्टी के उठान हेतु समय का निर्धारण उपखनिज की मात्रा के अनुसार निम्नानुसार किया गया है–

क्र0सं0	बलुई मिट्टी की मात्रा	कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित समय (कार्यदेश निर्गत होने की तिथि से मान्य)
1	5000 घनमीटर तक	15 दिवस
2	5001 से 15000 घनमीटर तक	20 दिवस
3	15001 से अधिक घनमीटर	30 दिवस

18. भण्डारित स्थल से बलुई मिट्टी का परिवहन जिलाधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर में स्थित खनन अनुभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र–सी के माध्यम से किया जायेगा।

19. निविदा में प्रस्तावित समयावधि के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किये जाने की अनिवार्यता है। निर्धारित समय अन्तर्गत कार्य समाप्त न होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति/जमानत की धनराशि व अन्य समस्त जमा राजस्व की राशि को जब्त कर लिये जाने की बाध्यता होगी।

20. निविदाकार को उपखनिज भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा, किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेंदार नहीं होगी।

21. निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज के उठान/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को क्षति पहुंचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

22. निविदाकर्ता द्वारा बलुई मिट्टी के उठान का कार्य सिंचाई विभाग के अधिकारियों के देख–रेख में किया जायेगा।

23. सर्वोच्च निविदाकर्ता द्वारा देय निविदा रायल्टी के अतिरिक्त आयकर विभाग को रायल्टी का 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 व रायल्टी का 10 प्रतिशत धनराशि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0) में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

24. निविदा आमंत्रण के पश्चात निविदा संशोधन/निरस्तीकरण की सूचना www.etender.up.nic.in पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर का निर्णय अन्तिम होगा।

26. मा0 न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 व शासन से समय–समय पर जारी आदेश बाध्यकारी होगें।

(ईशा प्रिया)
जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, फैजाबाद।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर को व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बेडकरनगर (एन.आई.सी.) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद अम्बेडकरनगर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को सूचना पट्‌ट पर चस्पा करने हेतु।
11. सम्बंधित समिति के सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुए ई–टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

प्रारूप–2

उपखनिज बलुई मिट्टी उठान हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्तवपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र/उपखनिज भण्डारण स्थल विज्ञापित किया गया हो–	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र/लॉट संख्या/उपखनिज भण्डारण स्थल का क्रमांक–	
3	निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी व वर्तमान), ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर–	निविदाकार का नाम– पिता/पति का नाम– पता (स्थायी व वर्तमान)– ई–मेल– मोबाइल नम्बर–
4	उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है–	क. उपखनिज का नाम– ख. तहसील का नाम– ग. भण्डारण स्थल का पूरा विवरण– घ. विज्ञप्ति में दी गयी भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)
5	निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी व वर्तमान), ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइबिंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पास बुक अथवा राशनकार्ड । फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)	पता का प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
6	पैनकार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र संख्या	पैनकार्ड नम्बर– फोटो युक्त पहचान पत्र संख्या– पैनकार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
7	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर) को निर्धारित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसके 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का विवरण,जो कि जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के नाम देय होगा–	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि– बैंक का नाम व शाखा– ड्राफ्ट का नम्बर व दिनांक– बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
8	जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार खनन बकाया न होने के सम्बंध में शपथ पत्र	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
9	उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता हो,	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	उस जिले के जिलाधिकारी से जारी कुल आंकलित रायल्टी धनराशि के समकक्ष/अधिक का हैसियत प्रमाण पत्र, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता हो,	हैसियत प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	उपखनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली ई–निविदा की दर–	उपखनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली रायल्टी दर, जो समिति द्वारा निर्धारित की गयी है, से कम नहीं होगी। रूपये प्रति घनमीटर (अंको में)– रूपये प्रति घनमीटर (शब्दों में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ। मेरे द्वारा निविदा में दिये गये क्षेत्र में एकत्रित बलुई मिट्टी की मात्रा/स्थिति का आंकलन कर लिया गया है। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.................................

पदनाम.................................

Signature Not Verified

Digitally signed by KAMLESH SAHU
Date: 2026.07.14 12:11:05 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Kamlesh